

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 श्रीमान ग्राम मोडडी के जमाबंदी संवत् 2075-78
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार महीना एवं वर्ष है
 के खाता सं. 480 में गुणी के नाम से खाने के खाते पर रिकॉर्ड किया
 जा चुका है। अतः उक्त खाते पर रिकॉर्ड किया
 जा चुका है।
 01/11/2021
 पटवारी-मोडडी

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

दिनांक :-

1-11-2021

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिराधा की जाती है / नहीं की जाती है।

(Signature)
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिला मुकुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 1-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबंदी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	मोडडी	2075-78	480	रिक्के अशुद्ध	रिक्के शुद्ध 510 महोदय राज

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 1-11-2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 601-82
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

